महत्वपूर्ण एवं खास

बंसल ट्रेडर्स के गोदाम से 41.60 क्विंटल अवैध धान की हुई जब्ती

अमानक धान लाने वाले कृषकों का टोकन हुआ निरस्त

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ.फरिहा आलम सिद्दकी के निर्देशन पर जिले में अवैध धान रोकने लगातार मालवाहक वाहनों की जांच एवं दस्तावेज परीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में कल 41.70 क्विंटल अवैध धान परिवहन पर कार्यवाही करते हुए जप्ती किया गया। ज्ञातव्य है कि खाद्य विभाग एवं मंडी बोर्ड के संयुक्त दल द्वारा 29 नवम्बर को विकासखण्ड बरमकेला अंतर्गत ग्राम-गोबरसिंघा में बंसल ट्रेडर्स के प्रोपराइटर विशाल अग्रवाल के प्रतिष्ठान गोदाम के निरीक्षण में 104 बोरी धान (वजन 41.60 क्विंटल), स्कंध पंजी के अतिरिक्त स्टॉक पाया गया। उक्त धान का मंडी संबंधी कोई भी रसीद सौदा पत्रक न होने पर जप्ती की कार्यवाही की गई। इसी कड़ी में आज 30 नवम्बर को धान उपार्जन केन्द्र बोहराबहाल में आये रूपेन्द्र पटेल निवासी करमी पाली, पिपरदा निवासी मोहरसाय, टमटोरा निवासी उदेराम का धान शासन द्वारा निर्धारित अधिक नमी एवं धान में मिट्टी का अधिक मात्रा पाये जाने के कारण अमानक धान को साफ-सफाई एवं सुखाने हेतु निर्देशित कर टोकन निरस्त कर धान वापस किया गया।

आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए 12 दिसम्बर तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ शहरी अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र कयाघाट बी वार्ड क्रमांक 29 तथा आंगनबाड़ी केन्द्र हीरापुर वार्ड क्रमांक 40 में आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए प्राप्त आवेदन पर जारी प्राविधिक /अनंतिम मूल्यांकन पत्रक तैयार किया गया है। उक्त सूची के संबंध में किसी भी आवेदिका को कोई आपत्ति हो तो वे 1 से 12 दिसम्बर 2022 सायं 5.30 बजे तक दावा-आपत्ति जमा कर सकते है। दावा-आपत्ति हेतु आवेदन सीधे परियोजना कार्यालय में जमा कर सकते है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आज

रायगढ़। जिले में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन एवं कोटपा एक्ट 2003 के प्रभावी अनुपालन हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। जिसके संबंध कलेक्टर की अध्यक्षता में 1 दिसम्बर को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैठक आहूत की गयी है।

ट्रेन की चपेट में आकर घायल हुए व्यक्ति को कोतरा रोड राइनो वाहन पहुंचाया अस्पताल

रायगढ़। दिनांक 30 नवंबर 2022 के शाम करीब 17:00 बजे डायल 112 के कमाण्ड कंट्रोल रायपुर से कोतरारोड़ राइनो को "मेडिकल इवेंट" मिला कि किरोड़ीमल रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। "मेडिकल इवेंट" की सूचना पर कोतरारोड़ रायगढ़ की ईआरवी वाहन में कार्यरत आरक्षक अशोक राठिया और वाहन चालक जितेंद्र चौहान तत्काल मौके पर पहुंचे। घायल व्यक्ति के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई थी, स्थिति को देखते हुए तत्काल डॉयल 112 स्टाफ आहत को ERV विवाह में बिठाकर मेडिकल कॉलेज रायगढ़ ले जाकर भर्ती कराया गया। आहत के रायपुर तिल्दा नेवरा वार्ड क्रमांक 22 निवासी श्रीचंद निषाद पिता राधेश्याम निषाद (उम्र 40 वर्ष) के होने की जानकारी मिली है। डायल 112 स्टाफ द्वारा थाना प्रभारी कोतरारोड़ उप निरीक्षक गिरधारी साव को घटना से अवगत कराया गया। थाना प्रभारी द्वारा पीड़ित के परिजनों को घटना के संबंध में जानकारी दिया गया है, पीड़ित के घर वाले बताएं कि श्रीचंद (आहत) कुछ ही दिनों पहले काम करने के उद्देश्य से रायगढ़ गया है।

लगन और मेहनत के बल पर छू सकते है जीवन में नई ऊंचाईयां : कलेक्टर

- कलेक्टर साहू ने प्लेसमेंट प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को दिए सर्टिफिकेट
- प्रथम एजुकेशन फांउडेशन के तहत ऑफर लेटर एण्ड सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम आयोजित

रायगढ़। कलेक्टर रानू साहू की उपस्थिति में प्रथम एजुकेशन फांउडेशन के तहत आज सृजन सभाकक्ष में ऑफर लेटर एण्ड सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर रानू साहू ने इस अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों से चर्चा कर उनके ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सभी प्लेसमेंट प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि जीवन में हमेशा आगे बढऩे की कोशिश करनी चाहिए। ये प्लेसमेंट सिर्फ एक शुरुआत है, आप अपने लगन और मेहनत के बल पर जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अपनी सोच और सपने को कार्यरूप में परिणित कर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सकारात्मक सोच रखते हुए निरंतर प्रयास करें। इस मौके पर कलेक्टर कलेक्टर साहू एवं सीईओ मिश्रा द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सीईओ मिश्रा ने कहा कि यह युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, जो अपने रूचि के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त कर सकते है। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि ट्रेनिंग के बाद वे अपने खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते है।

उल्लेखनीय है कि प्रथम एजुकेशन फांउडेशन द्वारा ब्यूटी प्रशिक्षण, टू व्हीलर, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रीकल, हॉस्पिटिलिटी, प्लंबिग, ड्रायवाल, फॉल सिलिंग, 4 व्हीलर सहित विभिन्न तरह के प्रशिक्षण नि:शुल्क प्रदान किए जाते है। प्रशिक्षण अवधि लगभग 45 दिनों के लिए होती है। जिसमें प्रशिक्षणार्थी को न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है और उनकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच हो। प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को प्लेसमेंट में सहयोग किया जाता है। साथ ही संवाद कौशल एवं व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। तत्पश्चात एनएसडीसी भारत सरकार द्वारा संयुक्त प्रमाण पत्र वितरित किए जाते है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, कुरूद, सुकमा जिला में यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसमें आवास व भोजन की नि:शुल्क सुविधा है।

इस अवसर पर मोतीलाल देवांगन, दिनेश सारथी, देवीशंकर दुबे, रंजीत, आत्माराम, वंदना, चमेली, आरती, सतीश, प्रदान संस्था से संजय, सत्या उपस्थित रहे।

इन्हें मिला सर्टिफिकेट एवं ऑफर लेटर- टू-व्हीलर प्रशिक्षण में 20 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र दिए गए। इनमें पिंकी, नलिनी, प्रियंका, आयुष राम, भामा इतवार दास महंत, सुजाता भवानी लाल चौहान, सुमन, मनीष सुखमन चौहान, अंद्रेश पतिराम सोनवानी, लखन ननकी दास, दयानंद, विनोद, रमेश गंगाराम, अजय वासुदेव राठिया, परमेश्वर, रेशम, देवमनी, संतोष पालूराम, रोशन एवं कृष्णा शामिल थे। इसी तरह हेल्थ केयर कोर्स अंतर्गत 10 प्रशिक्षणार्थियों में सुजाता नायक, महिमा यादव, अरूनी यादव, धनमती, विजेता तिग्गा, कलिस्टा पन्ना, नेहा सिंग, ज्योति, श्रेया, ब्यूटी कोर्स में आरती, सुकांति, कामिनी, रामवती, अंजली, मनीषा, कुंती, मोना, रोशिका, संजीता, पूनम, केकती, रमीला, बबीता, मंजू, मोनिका, प्रेमलता, दिप्ती, रजनी, सीमा, संतोषी, दिलेश्वरी, ईश्वरी, कविता, रूकमणी, तारावती, नेहा,

निशुल्क कौशल प्रशिक्षण हेतु विकासखण्ड स्तरीय शिविर का होगा आयोजन

रायगढ़। जिले के सभी जनपद पंचायत में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत नि:शुल्क प्रशिक्षण हेतु हितग्राहियों के काउंसिलिंग/चयन हेतु शिविर का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत 14 से 45 वर्ष की आयु सीमाओं के युवाओं को उनकी रूचि एवं योग्यता के अनुसार पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वीटीपी)संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न कोर्स में नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की योजना है। योजनान्तर्गत हितग्राहियों के काऊंसिलिंग/चयन के लिए सभी जनपद पंचायत मुख्यालय में क्रमश: 5 दिसम्बर को बरमकेला, 6 दिसम्बर को घरघोड़ा, 7 दिसम्बर को खरसिया, 8 दिसम्बर को लैलूंगा, 9 दिसम्बर को पुसौर, 12 दिसम्बर को सारंगढ़, 13 दिसम्बर को तमनार, 14 दिसम्बर को धरमजयगढ़ एवं 15 दिसम्बर को रायगढ़ में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक आवेदक अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने इच्छानुसार कोर्स में प्रशिक्षण लेने हेतु नाम दर्ज कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

आज से जिले में सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान की शुरूआत

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ.फरिहा आलम सिद्दकी के निर्देशानुसार कल 01 दिसंबर से जिले में सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान की शुरूआत की जाएगी। नवनिर्मित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला कुष्ठ एवं टीबी के परिप्रेक्ष्य में हाई इंडेमिक जिले में शामिल है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एफ.आर.निराला के अनुसार जिले में कुष्ठ का प्रभाव दर प्रति दस हजार की आबादी में 5.16 है जबकि टीबी के चिन्हांकित मरीजों की संख्या प्राप्त 1380 केस के विरूद्ध 658 केस मात्र है, जो 48 प्रतिशत ही है।

कलेक्टर डॉ.फरिहा सिद्दकी के निर्देशन में उक्त दोनों बीमारी के प्रभाव दर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा ज्यादा से ज्यादा कुष्ठ एवं टीबी के रोगियों को चिन्हांकित किये जाने एवं उनका विधिवत उपचार करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उनके परिजन, परिवार एवं पड़ोसियों को उक्त बीमारी के बचाव के लिए आवश्यक दवाई खिलाई जानी है। इस हेतु जिले में 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान की शुरूआत की जा रही है। इस संबंध में कलेक्टर ने आम जनता से अनुरोध किया है कि मितानिन द्वारा घर-घर पहुंच कर टीबी एवं कुष्ठ के लक्षणों की जाँच की जाएगी। आपके घर में जब मितानिन जाएगी, वह पूछताछ कर जांच करेगी तो इसमें आप अपनी संपूर्ण जानकारी मितानिन को बताएं एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उचित सहयोग करें।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान 1 दिसंबर से 21 दिसंबर 2022 के बीच आपके घर पहुंच कर निम्न लक्षणों की जाँच करेंगे। टीबी (क्षय रोग) के लक्षण में दो सप्ताह से अधिक खांसी, शाम के समय बुखार आना, रात में पसीना आना, बलगम के साथ खून आना, छाती में दर्द होना, भूख न लगना, लगातार वजन घटना आदि है। कुष्ठ रोग के लक्षण में चमड़ी पर तेलिया-तामिया चमक हो, चमड़ी पर दाग, चकत्ते जिसमें सुन्नपन हो, तंत्रिकाओं में मोटापन-सूजन हो, दबाने से दर्द होता हो, हाथ-पैरों में झनझुनी सुन्नपन हो, चमड़ी पर खासकर चेहरे पर, भौंहों के ऊपर, ठुड़ी पर या कानों में गठानें, सूजन या मोटापन आदि है। संक्रमित व्यक्ति में 01 या 01 से अधिक लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। यदि आपके घर या आस-पड़ोस में इन लक्षणों वाले कोई भी व्यक्ति हो तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता को इसकी जानकारी अवश्य दें।

राज्य महिला आयोग तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों के समस्याओं की भी करेगा सुनवाई -डॉ.किरणमयी नायक

- राज्य महिला आयोग की सुनवाई में तृतीय लिंग वर्ग प्रकरण होंगे शामिल

रायगढ़। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ.किरणमयी नायक से रायगढ़ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रायगढ़ असीम कृपा फाउंडेशन के तत्वाधान में आज तृतीय लिंग समुदाय के सभी व्यक्तियों ने मुलाकात कर अपनी समस्याओं व मांगों का ज्ञापन दिया। उन्होंने अध्यक्ष डॉ.नायक को बताया कि तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों को कई तरह की परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपनी समस्याएं रखने में दिक्कत होती है कई बार दुव्र्यवहार का सामना भी करना पड़ता है। उन्हें भी समाज में स्वाभिमान से जीने का अधिकार है उनके लिए भी नियम कानून बनाए गए और विभिन्न अधिकार और सहूलियतें सरकार द्वारा दी गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके लिए भी कई नियम लागू किए गए हैं। 2019 एक्ट के तहत उन्हें कानूनी संरक्षण एवं अधिकार प्राप्त है। किंतु जागरूक नहीं होने के कारण तथा उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वह अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। आज इसी परिपेक्ष्य में असीम कृपा फाउंडेशन के तत्वाधान में थर्ड जेंडर समुदाय तृतीय लिंग समुदाय के समस्याओं की सुनवाई भी अब राज्य महिला आयोग के अधीन हो पाएगा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ.किरणमयी नायक आज रायगढ़ जिले के सभाकक्ष में सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या हो या कोई पुरुष परेशान करें या फिर कोई महिला भी परेशान करेगा तो भी महिला आयोग में थर्ड जेंडर और एलजीबीटी कम्युनिटी शिकायत कर सकता है। जिसकी हम सुनवाई करेंगे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ.किरणमयी नायक ने उन्हे आश्वस्त करते हुए कहा कि अब से आप की सुनवाई राज्य महिला आयोग में हो पाएगी। फिलहाल अभी आयोग में इस विषय पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नही है। निश्चित तौर पर आयोग पर आप शिकायत कर सकते हैं उसकी सुनवाई राज्य महिला आयोग करेगी। निश्चित ही राज्य महिला आयोग तृतीय लिंग समुदाय के लिए हर सहयोग करने के लिए तैयार है और हम आगे भी करेंगे और आयोग द्वारा आपको हर संभव मदद और सहयोग करने की कोशिश करेंगे। इससे अब जो भी समस्या और सुनवाई होगी वह राज्य महिला आयोग के अधीन हो सकेगी।

फसल बीमा योजना : ऋणी एवं अऋणी कृषक 15 दिसम्बर तक उद्यानिकी फसलों के लिए करा सकते है बीमा

रायगढ़। उद्यानिकी फसल उत्पादन कर रहे कृषक जो रबी फसल हेतु टमाटर, बैगन, फूलगोभी, प्याज एवं आलू के लिए वर्ष 2022-23 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए शासन की अधिसूचना के साथ छत्तीसगढ़ में लागू हो गयी है। इच्छुक ऋणी/अऋणी कृषक 15 दिसम्बर 2022 तक लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या बीमा कंपनी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते है। इस हेतु बीमा कंपनी के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि अमीर खुरशिव मोबाईल नंबर 9910946528 एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि दुष्यंत यादव मोबाइल नंबर 9399863741 से संपर्क कर सकते है।

सहायक संचालक उद्यान, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में सभी अऋणी कृषक (भूधारक एवं बटाईदार)जो इस योजना में शामिल होने के ईच्छुक है, ऐसे कृषकों को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। चयनित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराये जाने के लिए किसानों को उन फसलों के लिए निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि के रूप में देना होगा, शेष प्रीमियम की राशि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।

ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते है, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि 7 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। निर्धारित समय-सीमा में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम (खरीफ) के लिए स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा।

किसानों को विभिन्न मौसमी जोखिम जैसे-तापमान (कम या अधिक तापमान), वर्षा-(कम अधिक या बेमौसम वर्षा), बीमारी अनुकूल मौसम (कीट एवं व्याधि), ओला वृष्टि एवं चक्रवाती हवाएं, हवा की गति से फसलों को होने वाले क्षति से फसल बीमा का नियमानुसार लाभ प्राप्त होगा। रबी मौसम के टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू फसल हेतु ओलावृष्टि हवाएं की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 पर या लिखित रूप में 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व/उद्यानिकी/कृषि अधिकारी अथवा जिला उद्यान अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेगा। संबंधित संस्था/विभाग 48 घंटा के भीतर कृषकों से प्राप्त जानकारी (बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित)बीमा कंपनी को प्रदान करेंगे। बीमा कंपनी द्वारा जिले में 42 स्थानों पर स्वचलित मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है, जिससे प्राप्त मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर ही बीमा दावा का भुगतान किया जाता है। कृषक द्वारा लगाये गये फसल का केवल एक बार ही बीमा आच्छादन का लाभ ले सकता है। एक रकबे को एक से अधिक बार बीमा होने की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा ऐसे सभी दावों को निरस्त कर दिया जाएगा।

जूटमिल के जगदेव पाठशाला में महिला रक्षा टीम ने बताई छात्रों को आत्मरक्षा के गुर

रायगढ़। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा, जागरूकता एवं लिंग भेद को समाप्त करने के उद्देश्य से उन्मुखीकरण कार्यक्रम/ कार्यशाला/जागरूकता कार्यक्रम/रैली/ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 30.11.2022 को महिला रक्षा टीम द्वारा पुलिस चौकी जूटमिल अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, जूटमिल में "जागरूकता कार्यक्रम" आयोजित किया गया जिसमें छात्र-छात्राओं को गुड टच, बैड टच, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि पर पुलिस सहायता लेने हेल्पलाइन नंबर बताए गए तथा छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जारी किए गए "अभिव्यक्ति ऐप" के बारे में बताया गया। छात्राओं को विपरित परिस्थितियों में इस मोबाइल एप से पुलिस को सूचना देने का तरीका सिखाया। उन्होंने छात्राओं से कहा कि स्कूल जाते समय रास्ते में छेड़छाड़ या फब्तियां करने वालों से डरे नहीं उनकी सूचना अपने टीचर एवं डॉयल 112 के माध्यम से पुलिस को देवें ताकि समय रहते हुए ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। उन्हें मोबाइल पर प्लेट स्टोर के जरिए ऐप को डाउनलोड करने कहा गया है। छात्राओं को लिंग भेद (जेंडर) के अनुसार भेदभाव, हिंसा करना कानूनन अपराध है। अब पुरुषों की तरह महिलाओं को सभी प्रकार के अधिकार दिए जा रहे हैं तथा बताया गया कि महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा को समाप्त करने महिलाओं को आगे आना होगा और अपनी पीड़ा को दबाव पुलिस के समक्ष लाना होगा। कार्यक्रम में महिला रक्षा टीम के सदस्यों द्वारा विपरित परिस्थियों में स्वयं की सुरक्षा करने आत्मरक्षा के विभिन्न तरीके बताकर महत्वपूर्ण टिप्स दिये गये। कार्यक्रम में महिला रक्षा टीम की प्रभारी एएसआई मंजु मिश्रा, कार्यक्रम में महिला आरक्षक इंदु लता एक्का, रोज मेरी खेस, आराधना, रेबिका कुजूर उपस्थित थी।

कलेक्टर की पहल से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करेगी नेहा

रायगढ़। कलेक्टर रानू साहू की संवेदनशील पहल से जिले की एक होनहार छात्रा का सपना साकार होने जा रहा है। जिले के लैलूंगा की नेहा घोघरे का चयन चंदुलाल चंद्राकर मेडिकल कालेज में एमबीबीएस के लिए हुआ है। किन्तु फीस की राशि की व्यवस्था नहीं हो पाने पर नेहा को अपना यह सपना पूरा होते हुए नहीं दिख रहा था। इस बीच उन्होंने कलेक्टर रानू साहू से आज दोपहर मिलने पहुंची थी। उन्होंने अपनी समस्या कलेक्टर साहू को बतायी। कलेक्टर साहू ने तत्काल उन्हें सीएसआर मद से एक लाख रुपये की तात्कालिक सहायता राशि के साथ ही पूरी पढ़ाई करने के लिए लोन की व्यवस्था करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। जिसके पश्चात कलेक्टर साहू ने शाम को ही नेहा को एक लाख रुपये की सहायता राशि का चेक सौंपा। साथ ही उन्होंने खूब मेहनत व लगन से पढ़ाई करने बात कहते हुए नेहा को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

उल्लेखनीय है कि आज कलेक्टर साहू से मिलकर लैलूंगा की नेहा घोघरे ने बताया कि उनका चयन 2022 के नीट यूजी परीक्षा के अंतर्गत एमबीबीएस के लिए चंदुलाल चंद्राकर मेडिकल कालेज दुर्ग में हुआ है। जहां उन्हें एडमिशन, ट्यूशन व हॉस्टल फीस सहित कुल एक लाख रुपये जमा करने है। उनके पिता जी का निधन चार वर्ष पूर्व हो चुका है। माता जी की भी मानसिक स्थिति भी सहीं नहीं है तथा उनका इलाज चल रहा है तथा परिवार गरीबी रेखा के नीचे आता है तथा कोई नियमित आय का साधन नहीं है। एडमिशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 3 दिसम्बर 2022 है। फीस जमा नहीं करने की स्थिति में उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाएगा। कलेक्टर साहू ने उनकी समस्या पर संवेदनशील पहल करते हुए उन्हें न केवल एडमिशन के लिए एक लाख रुपये की तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की। बल्कि आगे एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई के लिए लोन की व्यवस्था करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। जिससे नेहा अपनी डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके।

इंस्ट्राग्राम में शुरु हुआ प्रेम, भाग कर शादी और फिर तलाक तक पहुंचा मामला

- सोशल मीडिया के माध्यम से जीवन साथी तलाशने में बरते सर्तकता- डॉ.किरणमयी नायक

रायगढ़। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ.किरणमयी नायक एवं सदस्य अर्चना उपाध्याय ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोग के समक्ष महिला उत्पीडऩ से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जनसुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ.नायक ने अपने कार्यकाल की आज 146वीं जनसुनवाई की। रायगढ़ की आज चौथीं सुनवाई में कुल 30 प्रकरण रखे गये थे। जिसमें 11 प्रकरणों का निराकरण करते हुए नस्तीबद्ध किया गया। कुछ प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए सुनवाई रायपुर में नियत की गयी। वहीं शेष प्रकरणों पर आगामी सुनवाई की जाएगी।

डॉ.नायक ने कहा कि महिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण हो तथा महिलाओं को त्वरित न्याय मिले इस दिशा में आयोग निरंतर कार्यरत है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में जाकर जनसुनवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोशिश होनी चाहिए की आपसी सलाह-मशविरे से मामलों में सुलह हो जाये। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा कार्यवाही नि:शुल्क करते है, उन्होंने आग्रह किया कि आवेदिका अपने नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित जिनके विरुद्ध शिकायत है उनका भी नाम, पता, मोबाइल नंबर स्पष्ट लिखे, जिससे कार्यवाही करने में आसानी होगी।

आयोग के समक्ष एक प्रेम प्रसंग का मामला आया। जिसमें सोशल नेटवर्क इंस्ट्राग्राम में शुरु हुआ प्रेम, भाग कर शादी और फिर तलाक तक पहुंच गया। इंस्ट्राग्राम में बातचीत के साथ दोनों आवेदक एवं अनावेदक के बीच प्रेम हुआ। इसके पश्चात दोनों ने घर से भाग कर मुस्लिम रीति-रिवाज से निकाह भी किया। अनावेदक पति अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है परन्तु आवेदिका नहीं रहना चाहती है। आवेदिका ने तलाक लेने का आवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत की। आयोग ने आवेदिका से मुस्लिम रीति-रिवाज के माध्यम से तलाक लेने के लिए आवेदन लिखवाया। इसके पश्चात अनावेदक विधिवत तरीके से तलाक प्रक्रिया का पालन करेगा। अनावेदक एवं आवेदिका की विधिवत तलाक दिलाने आयोग में उपस्थित अधिवक्ता को आयोग की ओर से अधिकृत किया गया। जिसमें अधिवक्ता विधिवत तरीके से तलाक कराने में दोनों पक्षों की मदद करेगा। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में जिला महिला संरक्षण अधिकारी चैताली रॉय दोनों पक्षों की मदद करेंगी और रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करेंगी। इस दौरान डॉ.नायक ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मिडिया के माध्यम से जीवन साथी तलाशने में सतर्कता बरतें। शादी जीवन का अहम फैसला है कोई भी कदम सोच समझ कर उठाये।

आज ऐसा प्रकरण आयोग के संज्ञान में आया जिसमें आवेदिका के फर्जी हस्ताक्षर से थाना प्रभारी के विरुद्ध शिकायत किया गया था, नोटिस मिलने पर आवेदिका जनसुनवाई में पहुंची। आवेदिका ने बताया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई है। जिसके पश्चात आवेदन का हस्ताक्षर मिलान किया गया, जिसमें शिकायत फर्जी मिला। जिस पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। एक अन्य प्रकरण में आवेदिकागणों द्वारा अनावेदक के द्वारा उन पर खराब व्यवहार करने का आवेदन प्रस्तुत किया, अनावेदक द्वारा आवेदक महिलाओं से माफी मांगा गया। जिस पर आयोग द्वारा अनावेदक को समझाइश दिया एवं महिलाओं के प्रति व्यवहार सुधारने को कहा गया। राजीनामा प्रकरण पर सुलह होने पर नस्तीबद्ध किया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480